अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री रामदेव गुर्जर श्री हसन खान 01से 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
23.12.2025	मोहनी बनाम श्रवण वगैरह (2025/567) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक श्री हसन खान एडवोकेट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की ओर से श्री हसन खान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 26.12.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
26.12.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। वकुलाया उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 23.12.2025 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बावत निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व अन्य द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 को आये दिन बिना स्वत्व के गलत व राजनैतिक द्वैषता के कारण शिकायते करने से अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा मौके पर अपीलांटस अपने पूर्वाधिकारियों के काबिज राजस्व रिकार्ड के रकबे अर्थात खातेदारी रकबा इन्द्राज अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस को लाभ पहुचाने की नियत से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनो बिन्दु जो प्रार्थीगण/अपीलांटस के पक्ष में स्पष्ट होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, अपूर्तनीय क्षति कें तीनों बिन्दु प्रार्थीगण/अपीलांट के पक्ष मे है। अपीलांटस सद्भाविक अपनी आराजी खातेदारी व सहखातेदारी में काबिज काश्त है जिनका राजस्व रिकार्ड अर्थात जमाबंदी में अपने-अपने रकबे व अपने-अपने खसरा अनुसार काबिज काश्त है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व ट्रैस व राजस्व जमाबंदी का ऑनलाईन अर्थात डिजीटलीकरण करते समय अपीलांट का अधिकार अभिलेख जमाबंदी दर्ज हिस्से अनुसार राजस्व ट्रेस में तरमीम नहीं करने के कारण अर्थात रकबे के अनुसार तरमीम नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा अपीलांटस को अतिक्रमी मानकर अवैधानिक कार्यवाही की जा रही है जबकि समस्त ग्राम शिवनगर के निवासीगण एवं अपीलांटस द्वारा अप्रार्थी संख्या 05 से कई मर्तबा निवेदन किया जा चुका है कि पूर्व राजस्व ट्रेस एकीकरण व सेटमेंट के अनुसार मौके का सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक है परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 4 व अन्य मौके को लेकर गलत व झूठी शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अप्रार्थी संख्या 05 द्वारा पूर्व राजस्व ट्रेस के अनुसार सीमाज्ञान नहीं किया गया एव ना ही वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई सीमाज्ञान किये बिना व मौके की वास्तविक रिपोर्ट लिये बिना अपीलांट को अतिक्रमी मानकर अपीलांटस की आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है। जबकि अप्रार्थीगण को अपीलांटस की खातेदारी की आराजी से बेदखल करने का किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल अपील वादग्रस्त आराजीयात से मौके से बदेखल नहीं करें, कब्जे-काश्त, उपयोग-उपभोग में बाधा कारित नहीं करने अर्थात मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अरथाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 ने दौराने जवाब निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार...

काश्तकारी अधिनियम को दर्ज कर नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किये है। यदि माननीय न्यायालय स्थगन आदेश दिया जाना उचित समझे तो उभयपक्ष को पाबंद किया जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आरजीयात का सीमाज्ञान नही हुआ है अतः सीमाज्ञान होने तक वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश प्रदान करावे। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने से विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द, बेचान, हस्तातंरण नहीं की जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपगढ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। तहसीलदार रूपनगढ प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात का 5 दिवस में सीमाज्ञान कर प्रार्थी/अपीलांट को अवगत करावें एवं इसकी पालना रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें । तब तक अपीलांट की विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है। 5 दिवस बाद स्थगन आदेश स्वतः निषप्रभावी माना जाएगा। अधीनस्थ न्याायालय सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण का 30 दिवस में अंतिम निस्तारण करे। अभिभाषक उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.01.2026 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

राजस्व अपील / टि०ए० संख्या 567/ 2025

2025/567

1. मोहनी पुत्री कानाराम उम्र करीबन 52 वर्ष
2. मस्तराम पुत्र कानाराम उम्र कबरीन 45 वर्ष
3. पूसी पुत्री कानाराम उम्र करीबन 46 वर्ष
4. शीला पुत्री कानाराम उम्र करीबन 48 वर्ष
5. सरजू पुत्री कानाराम उम्र करीबन 55 वर्ष
6. सोहनी पुत्री कानाराम उम्र करीबन 50 वर्ष
7. भंवरी देवी पत्नि रामेश्वर उम्र करीबन 50 वर्ष
   सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम शिवनगर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
8. भंवरलाल पुत्र भोलू उम्र करीबन 65 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम शिवनगर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
9. रेणूका पत्नि राजूलाल उम्र करीबन 27 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम शिवनगर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
10. हरजी पुत्र कल्याण उम्र बालिग जाति जाट निवासी ग्राम शिवनगर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलान्ट्स / अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र माना
2. मांगू पुत्र जवाना
3. श्रवण पुत्र जवाना
4. महादेव पुत्र कानाराम
   सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम शिवनगर तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
5. भू–धारी श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्टस् / प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.12.2025 बउनवानी मोहनी बनाम श्रवण वगैरह राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 111 / 2025 में पारित आदेश श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, रूपनगढ़ के विरूद्ध

567/2025
15/12/25

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
15/12/25

Scanned with CamScanner